न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2708–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–7–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 260/13–14/अपील.

विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्यादित ग्वालियर
द्वारा संचालक सुरेन्द्र सिंह भदौरिया .....आवेदक

विरूद्ध

1– सुरेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा
निवासी ललितपुर कॉलौनी, ग्वालियर
2– म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक एवं
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.डी. शर्मा, अभिषक, अनावेदक कमांक 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर क्षेत्र ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–5–14 एवं 28–4–14 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । साथ ही अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति एवं स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–7–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1

को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति संबंधी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आगामी पेशी तक प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय/अंतरण पर रोक लगाई गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संवत् 2007 से प्रश्नाधीन भूमियों पर कभी भी अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज नहीं रहा है, इसलिए अनावेदक कमांक 1 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं था, और न ही उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमियों के स्वत्व का निर्धारण होना है, अतः व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व के निर्धारिण हेतु अनावेदक कमांक 1 को अनुमति देने से उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के विक्रय/अंतरण पर रोक लगाई गई है, जबकि उक्त सहायता अनावेदक कमांक 1 द्वारा चाही ही नहीं गई थी, और न ही इस संबंध में कोई तर्क अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत हुए थे । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के दो आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित पृथक–पृथक दो आदेशों के विरूद्ध दो अपीलें प्रस्तुत की जानी चाहिए थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनविलोकन प्रस्तुत किया गया था । उक्त पुनर्विलोकन को भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–5–14 को आदेश पारित कर निरस्त किया जा चुका है, इसलिए भी अनावेदक कमांक 1 को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 10–3–2015 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में डिक्री पारित की गई है, अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में भी अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में जहां विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, वहीं व्यवहार न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है, जबकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । यह भी तर्क

प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 46 (बी) रिव्यु में पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालयों को तहसील न्यायालय के आदेश की वैधानिकता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारां अनावेदक कमांक 1 के प्रतिदावा को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए प्रकरण में उसकी कोई लोकसस्टेण्डाई नहीं रह जाती है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार बनाया गया है, और जब व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार बना लिया गया था, उस समय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, अतः अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि वैधानिक कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने से उसकी अंतिमता समाप्त हो चुकी है, अतः अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रचलन योग्य है । तर्क के समर्थन में 1990 आर.एन. 114 एवं 1989 आर.एन. 521 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक कमांक 1 सुरेन्द्र नाथ शर्मा को व्यवहार न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकार मानते हुए प्रतिवादी कमांक 2 के रूप में वाद पत्र में स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं । अतः प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक कमांक 1 के हित जुड़े हुए हैं । चूंकि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है, ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक कमांक 1 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने संबंधी आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । प्रश्नाधीन भूमि के विकय/अंतरण पर भी रोक लगाने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि यदि प्रश्नाधीन भूमि का विकय/अंतरण कर दिया जाता है तो उनके समक्ष प्रचलित अपील निरर्थक हो जायेगी । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर. अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्ती की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर